न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री परसाराम, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 09/2022 GCMS- 2022/68

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री मालमसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील व जिला जैसलमेर।		1. श्रीमती ज्योति भूतड़ा पत्नी श्री अनिल कुमार भूतड़ा जाति माहेश्वरी 2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री कुंदनलाल भूतड़ा जाति माहेश्वरी 3. श्रीमती संतोषी देवी पत्नी मनोहर लाल भूतड़ा जाति माहेश्वरी 4. श्री नाथ भूतड़ा पुत्र श्री भगवान दास भूतड़ा जाति माहेश्वरी 5. श्री भगवान दास पुत्र जेतीदास भूतड़ा जाति माहेश्वरी 6. श्री मनोहरलाल पुत्र मुरलीधर भूतड़ा जाति माहेश्वरी सर्व निवासीयान रामगढ़ जिला जैसलमेर। 7. सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला जैसलमेर। 8. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला जैसलमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री भगवान सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विपिन कुमार व्यास, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06 तक की ओर से।
3. राजपैरोकार अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांकः–06.08.2026

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 तक को ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। अतः पट्टे निरस्ती हेतु निम्न आधारों पर रिविजन प्रार्थना पत्र पेश है।

आधार :–

1. यह है कि प्रार्थी मूल रूप से ग्राम रामगढ़ का निवासी है तथा प्राथी की चल व अचल संपति ग्राम रामगढ़ में स्थित है। प्रार्थी का मतदाता सूची व राशन कार्ड ग्राम रामगढ़ के ही है। ग्राम रामगढ़ में प्राथी अपना निवास करता है तथा अपने निवास स्थान पर प्रार्थी का पुराना कब्जा व बाड़ा बना हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

2. यह है कि ग्राम प्रचायत रामगढ़ द्वारा जारी आवासीय भूमि के पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अधीन शर्तो से परे हटकर गलत रूप से जारी किये गये है। नियम 157 (1) के नियम अनुसार पूर्वोक्त आवंटिती का पच्चास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा होना आवश्यक है परन्तु अप्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा या किसी भी प्रकार का निर्माण मकान आदि नहीं है। ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत के द्वारा सामान्य दर पर 2700 वर्गफीट के पट्टे जारी किये गये है उससे अधिक माप के पट्टे जारी नहीं किये जा सकते है परन्तु अप्रार्थीगण को 2700 वर्गफीट से अधिक भूमि बिना किसी अन्य दर के दी गयी है। अप्रार्थीगण के द्वारा छः पट्टे पंचायती राज अधिनियम, नियम व उपनियम के प्रतिकूल होने से अवैध प्रभाव हीन होते से खारीज योग्य है।

3. यह है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा दिनाक 01.12.2022 को या उससे पहले पट्टा जारी करने से संबंधि काई बैठक या कार्यवाही की तिथी नही रखी गई थी तथा न ही ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व लिया गया था तथा न ही कमेटी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया या क्योंकि उक्त संपति प्रार्थी के कब्जा उपयोग उपभोग में है। प्रार्थी का उक्त पट्टों की भूमि पर पुराना कब्जा है जिसका निरन्तर प्रार्थी उपयोग कर रहा है जिससे यह सभी पट्टे निरस्ती योग्य है।

4. यह है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण सख्या 01 आवासीय भूमि पट्टा माप 30 गुणा 120 फीट कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट, अप्रार्थीगण संख्या 02 आवासीय भूमि पट्टा माप 30 गुणा 120 फीट कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट, अप्रार्थीगण संख्या 3 माप 30 गुणा 120 फीट कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट, अप्रार्थीगण संख्या 04 माप 35 गुणा 120 फीट कुल क्षेत्रफल 4200 वर्गफीट, अप्रार्थीगण संख्या 5 माप 35 गुणा 120 फीट कुल क्षेत्रफल 4200 वर्गफीट, अप्रार्थीगण संख्या 6 साप 30 गुणा 120 फीट कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट, आवंटन किया गया परन्तु उपरोक्त संपूर्ण भूमि प्रार्थी के स्वंय के व उसके परिवार के कब्जा उपयोग उपभोग में है। उक्त भूमि ग्रामवासी को आवंटित की जाती है परन्तु अप्राचीगण संख्या 01 से 06 तक सभी ग्राम रामगढ़ के निवासी नहीं है और सभी अप्रार्थीगण निरन्तर जैसलमेर शहर के निवासी है और वर्तमान में भी शहर जैसलमेर में ही निवासरत है। अप्रार्थीगण का शहर जैसलमेर में मतदाता सूची में नाम अंकित है और उनके मकान जैसलमेर में बने हुये है। अप्रार्थीगण द्वारा धन, बल व राजनैतिक पंहुच ऐपरोच से अप्रार्थी सख्या 7 व 8 से मिलिभक्ति कर फर्जी तरिके से आवासीय पट्टे जारी किये गये है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पति पत्नी है व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 6 पति पत्नी है, उनके द्वारा अपने अलग–अलग पट्टे जारी किये गये है जबकी पति पत्नी को एक ईकाई माना जाता है और उनके निवास उपयोग के लिये अलग अलग आवासीय भूखण्ड होना आवश्यक नहीं है, जो काबिल निरस्ती के है। आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने के लिये उक्त भूखण्ड पर कब्जा विद्युत संयोजन होना अर्थात् उक्त संपति प रहवास उपयोग होना आवश्यक परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जारी करवाये गये पट्टो पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, विद्युत संयोजन, कब्जा आदि नहीं है।

5. यह है कि दिनांक 01.12.2022 को उपरोक्त भूमि विक्रय विलेख सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना नोटिस ही जारी नहीं किया गया था। जिससे विधियत पट्टा जारी नहीं होने से ऐसी एकतरफा बाला बाला फर्जी कार्यवाही कर पट्टे जारी किये है जो कि खारीज योग्य है। नियमों की अवहेलना कर जारी किये गये पट्टे नील अवोइड होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 148 की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

6. यह है कि दिनांक 01.12.2022 की समस्त कार्यवाही कागजी कार्यवाही जो कि अन्दर ही अन्दर की गयी है सार्वजनिक नहीं की गयी है जिससे न्यायहित में प्रोसेडिंग रजिस्टर, पट्टे की पत्रावली, तत्समय की रसीद बुक, सार्वजनिक सूचना, नोटिस व उस रोज की तमाम कार्यवाही का मूल रिकार्ड न्यायहित में तलब फरमाया जाये तथा उस पर गौर किया जावे जिससे सारी सच्चाई सामने आ जायेगी। तमाम कार्यवाही नियम विरूद्ध की गयी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

7. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 तक फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थी के पूर्वजों से चले आ रहे कब्जे की भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से है तथा रोकने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है। गांव के मौजिज लोगों से भी समझाईस करवायी पर अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है।

8. यह है कि प्राथी ने अप्रार्थीगण को जारी किये गये पटटे की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी परन्तु ग्रांम विकास अधिकारी ने रिकार्ड नहीं होने से पत्रावली देने से असमर्थता जताई जिससे पट्टे फर्जी होने से खारीज योग्य है।

9 यह है कि अप्रार्थीगण को पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह प्रार्थी के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव वाली कार्यवाही कानूनन प्रभावहीन है।

10 यह है कि अप्राथीगण आवासीय पट्टे की भूमि का किसी अन्य को बेचान करने पर तत्पर है तथा अप्रार्थी संख्या 7 व 8 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

11. यह है कि पटटे प्रारम्भतः शून्य है, प्रक्रिया व विधि विरुद्ध है जिससे खारिज योग्य है।

12. यह है कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस निवेदन किये जायेंगे।

13) यह है कि रिविजिन पार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकारी का है तथा उचित कोर्ट फीस अलावा तलबाना के पेश है।

14/ यह है कि रिविजन प्रार्थना पत्र की कोई सीमा अवधि निर्धारित नही है। अवैध व प्रारंभतः शून्य मामलों में कोई म्याद बिंदु लागू नहीं होता है।

अतः रिविजन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 को जारी पट्टे दिनांक 01.12.2022 को खारिज फरमाते हुए उक्त पट्टो के संबध में ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही का मूल रिकार्ड तलब करमा कर नियम विरुद्ध जारी किये छः पट्टों को निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर से निम्न जवाब दावा पेश किया जा रहा है कि–

विशेष आपत्तिया

1. यह हैं कि प्रार्थी द्वारा सभी आदेशों की एक ही रिविजन प्रस्तुत की हैं जो सरासर विधी विरूद्ध हैं। सभी आवंटन आदेश अलग अलग व्यक्तियों के नाम से जारी हुवे है। और सभी आवंटन आदेशों में वादग्रस्त सम्पति भी अलग अलग है। इस कारण प्रार्थी द्वारा सभी आदेशों की विधिक रूप से अलग अलग अपील / रिविजन प्रस्तुत की जाकर सुनवाई की जानी चाहिये जबकि सभी की एक ही रिविजन में सुनवाई की जा रही हैं जो विधि विरूद्ध होने से ही उक्त रिविजन खारिज किये जाने योग्य है।

2. यह हैं कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि पर बिना कब्जा व रहवास के आवंटन होना वर्णित किया हैं वह सरासर गलत हैं। वादग्रस्त सम्पति पर सभी आवटियों का कब्जा एवं रहवास हैं जिसकी रिर्पोट भी तहसीलदार महोदय द्वारा बनाई गई हैं जो सलग्न प्रस्तुत हैं। उक्त रिर्पोट से स्पष्ट हैं कि आवंटी का विधिवत कब्जा होने से उसे विधिक तरीके से आवंटन किया गया हैं। इसके विपरीत मालमसिंह द्वारा पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा हैं और प्रार्थीगण की भूमि को येनकेन प्रकारेण हडप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण भी रिविजन खारिज किये जाने योग्य हैं।

3. यह हैं कि उक्त पट्टा का विधिवत रजिस्ट्रेशन उपपंजीयक कार्यालय में करवाया जा चुका है। इस प्रकार विधिक रूप से रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज को खारिज करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट का ही हैं इस कारण उक्त रिविजन मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं।

पदवार जवाब

1. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में जैसा कथन किया है, प्रार्थी स्वयं साबित करे।

2. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब यह है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1936 नियम के तहत ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उपपंजीयन कार्यालय रामगढ में स्टाम्प ड्यूटी भर कर एवं उपपंजीयन कार्यालय रामगढ की शर्तों की पालना करते हुए पट्टा रजिस्टर्ड कराया है। उक्त पैरा की यह बात गलत है कि अप्रार्थीगण का विवाद ग्रस्त जायदाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

पर कोई पुराना कब्जा नहीं हो, व अप्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से पट्टा जारी करवाया गया हो। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में उपपंजीयन कार्यालय रामगढ़ में पट्टा जारी होने से पूर्व किसी प्रकार की कोई आपति दर्ज नही करायी गई। सभी तथ्यों का जवाव पूर्व में दिया जा चुका हैं।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 व 04 में जैसा कथन किया है, प्रार्थी स्वयं अपनी साक्ष्य से सावित करे।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 जैसा कथन किया गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण का व्यवसाय जैसलमेर शहर में है जिस कारण वह शहर में अपना व्यवसाय करते है और अप्रार्थीगण का आना–जाना होता है। अप्रार्थीगण पूर्वज गांव रामगढ में ही निवासरत थे। उक्त पैरा की यह वात सही है कि ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा अप्रार्थीगण को वादगस्त जायदाद का आवटंन किया गया है, उसके पश्चात ही अप्रार्थीगण द्वारा वादगस्त जायदाद का पंजीयन कराया गया है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06, 07, 08, 09 प्रार्थी स्वयं सावित

6. यह है कि पद संख्या 12, 13 व 14 विधिक हैं उक्त रिविजन सुनने का मान्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस कारण रिविजन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का रिविजन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 07 एवं 08 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा पत्रावली से संबंधित मूल रेकर्ड प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षों की वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 तक के नाम से जारी आवासीय पट्टे विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा दिनांक 01.12.2022 को जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) की पालना नहीं हुई है। तहसीलदार रामगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के अनुसार भी हस्तगत भूखण्ड पर कोई मकान नहीं बने हुए है। अप्रार्थीगण के ग्राम पंचायत रामगढ़ की वोटर लिस्ट में नाम ना होकर जैसलमेर शहर की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टे जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टे मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे निरस्त किया जाना वांछनीय है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06 तक का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्राथी अधिवक्ता ने सभी पट्टो को एक साथ चुनौती दी गई जो कानूनी रूप से वैध नहीं है एवं रजिस्टर्ड पट्टों को सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस न्यायालय को रजिस्टर्ड पट्टो पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। पुरानी रजिस्ट्री के हदूद में मेरा अप्रार्थीगण का कब्जा बताया गया है जिससे सिद्ध होता है कि हस्तगत भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण 01 से 06तक को जारी पट्टे विधि सम्मत होने से प्रार्थी की याचिका सव्यय खारिज फरमायें जाने की कृपा करावें।

उभयपक्ष की वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने प्रश्नगत निगरानी में छः पट्टो की एक ही निगरानी प्रस्तुत की है। सभी आवंटित पट्टे भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के नाम से जारी हुवे है एवं सभी आवंटन पट्टों में वादग्रस्त सम्पति भी भिन्न–भिन्न है। नियमानुसार अलग–अलग पट्टो की अलग–अलग निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारणीय नही ठहरता है। अतऐव समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(परसाराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर